प्रेस विज्ञप्ति

09.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने हरजिंदर पाल सिंह व अन्य के विरुद्ध चल रही जाँच के सिलसिले में, संतगढ़ और मुनिरका विहार, नई दिल्ली में स्थित अपराध से प्राप्त आय (पीओसी) के एक हिस्से के रूप में दो अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कीमत लगभग 66.25 लाख रुपये है। कुर्क की गई संपत्तियाँ हरजिंदर पाल सिंह और उनके बहनोई जगजीत सिंह के नाम पर हैं, जिनमें दुकानें और आवासीय फ्लैट शामिल हैं।

ईडी ने हरजिंदर पाल सिंह व अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत ईओडब्ल्यू, दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि हरजिंदर पाल सिंह ने नरिंदर नांगिया को आसान लोन का लालच दिया और कई खाली स्टाम्प/सादे कागज़ों (खाली चेक सहित) पर नरिंदर नांगिया और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लिए। हरजिंदर पाल सिंह ने अपने बहनोई जगजीत सिंह के साथ मिलकर उपरोक्त दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके नरिंदर नांगिया और उनके परिवार के सदस्यों की विभिन्न अचल संपत्तियों के जाली दस्तावेज़ तैयार किए और उन्हें बेच दिया। इसके परिणामस्वरूप हरजिंदर पाल सिंह और जगजीत सिंह द्वारा लगभग 1.02 करोड़ रुपये की पीओसी उत्पन्न की गई।

जाँच के दौरान, हरजिंदर पाल सिंह के नाम पर तीन एफडीआर में जमा लगभग 35.80 लाख रुपये की राशि को फ्रीज़ कर लिया गया और उसके बाद 26.07.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), तीस हज़ारी, नई दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की गई। उक्त अभियोजन शिकायत माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। शेष 66.25 लाख रुपये (लगभग) मूल्य की पीओसी को अनंतिम कुर्की आदेश संख्या 07/2025 दिनांक 08.09.2025 के तहत अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया गया है।

आगे की जांच जारी है।